सं.ई. 11014/5/2017-रा.भा.(का.)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राजभाषा प्रभाग

जल विंग, प्रथम तल,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 01.06.2017

<u>कार्यालय-ज्ञापन</u>

विषय: अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजना, वर्ष **2017-18** ।

सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से, केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत अधिकारियों को, उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष हिन्दी में दी गई डिक्टेशन के आधार पर, नगद पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

2. पात्रता :

(i) ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं ।

(ii) इस योजना में भाग लेने वाले अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में अपने द्वारा हिन्दी में दी गई डिक्टेशन का रिकार्ड रखेंगे। यह रिकार्ड उनके स्टेनो/निजी सहायक भी रख सकते हैं तथा उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबन्धित अधिकारी का होगा।

(iii) इस योजना के अंतर्गत 02 पुरस्कार दिए जाएंगे । एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों में से किसी एक को दिया जाएगा जिसका घोषित निवास-स्थान 'क' या 'ख' क्षेत्र में स्थित है । समान धनराशि का दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों में से किसी एक को दिया जाएगा जिसका घोषित निवास-स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित है ।

(iv) पुरस्कारों की पात्रता के लिए 'क' या 'ख' क्षेत्र में स्थित घोषित निवास-स्थान वाले अधिकारियों तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित घोषित निवास-स्थान वाले अधिकारियों के लिए पूरे वित्त वर्ष में कम से कम क्रमश: 2,000 एवं 1,000 शब्दों की हिंदी डिक्टेशन देने की सीमा निर्धारित होगी ।

(v) हिंदी अधिकारी तथा ऐसे अधिकारी जो नकद पुरस्कार की किसी अन्य योजना में भाग ले रहे हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

3. पुरस्कार राशि :

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन (दिनांक 25.07.2016 की डायरी सं. 3103736/वित्त-II 2016) से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी अद्यतन अर्थात् 14 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) के अनुसार, इस योजना के तहत प्रत्येक पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि 5,000/-रुपए होगी ।

4. मूल्यांकन समिति :

निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत हिन्दी में दी गई डिक्टेशन के मूल्यांकन के लिए संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जिसमें दो सदस्य अर्थात् (1) निदेशक (रा.भा), जिनके न होने पर उप-सचिव (प्रशा.) तथा (2) उप-निदेशक (रा.भा.) होंगें। तथापि, परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन समिति के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

5. खर्च का वहन :

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों पर होने वाले खर्च का वहन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड एवं सिविल निर्माण एकक द्वारा अपने-अपने बजट प्रावधान से किया जायेगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि के वहन के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25.07.2016 के डायरी सं. 3103736/वित्त-II/2016 के द्वारा उनका अनुमोदन प्राप्त है।

पर्यावरण वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा सिविल निर्माण एकक सहित) के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन दें, वर्ष 2017-2018 के दौरान अर्थात् 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में अपने द्वारा हिन्दी में दी गई डिक्टेशन का विवरण रखें तथा उसे अधिकतम 10 अप्रैल, 2018 तक उप-निदेशक (रा.भा.), प्रथम तल, जल विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003 को निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में भिजवा दें ताकि वे उसे अंतिम निर्णय के लिए मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकें।

(बृजभान)
उप-निदेशक (रा.भा.)

संलग्नक. प्रपत्र

सेवा में,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा सिविल निर्माण एकक सहित) के सभी अधिकारी।

प्रतिलिपि:

1. सचिव (पर्या., वन एवं ज. प.) के निजी सचिव।
2. अपर सचिव (अमिता प्रसाद) के निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (AS)।

"अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजना" के अंतर्गत कार्य का विवरण प्रस्तुत करने हेतु

प्रपत्र

"अधिकारियों को हिंदी मे डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजना" के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) के दौरान श्री/श्रीमती/कुमारी--
पदनाम. ……….. ….घोषित निवास-स्थान का क्षेत्र …… . ………….द्वारा हिन्दी में किए गए टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, रजिस्टर/लॉगबुक में प्रविष्टि/सूची बनाने आदि से संबन्धित कार्य का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	माह	पहले सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/लिखवाए गए शब्द	दूसरे सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/लिखवाए गए शब्द	तीसरे सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/लिखवाए गए शब्द	चौथे सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/लिखवाए गए शब्द	विषय/फाईल सं०	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अप्रैल,2017						
2.	मई, 2017						
3.	जून, 2017						
4.	जुलाई,2017						
5.	अगस्त,2017						
6.	सित , 2017						
7	अक्ट.,2017						
8.	नव , 2017						
9.	दिस., 2017						
10.	जन., 2018						
11.	फर., 2018						
12.	मार्च, 2018						
13.	योग						
14.	कुल योग						

उपर्युक्त विवरण की सत्यता प्रमाणित की जाती है।

अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर सहित

नाम...

पदनाम.....................................